रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-305/2023/847/22-2-2023-17(945)/2019

लखनऊ: दिनांक: 07 जून, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुमताज उर्फ ताज मोहम्मद (बन्दी संख्या-452/2019) पुत्र श्री रज्जाक, निवासी- गददीपुरवा, थाना-रामकोट, जनपद-सीतापुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या- 56/03, 57/03 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 (1-बी) ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1, सीतापुर के आदेश दिनांक 13.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, दिनांक 10.09.2022 तक 19 वर्ष 11 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 03 माह 01 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-305/2023/847(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री आदर्श उपाध्याय, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-403/2023 मुमताज उर्फ ताज मोहम्मद बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.02.2023 के सन्दर्भ में।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
3- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
4- पुलिस अधीक्षक सीतापुर।
5- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-403/2023 मुमताज उर्फ ताज मोहम्मद बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.02.2023 के सन्दर्भ में।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
9- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in